



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 ज्येष्ठ 1948 (श10)

(सं० पटना 637) पटना, शुक्रवार, 19 जून 2026

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

18 जून 2026

सं० प्र03-प्र00-04/2014(खंड-I) 3246/खाद्य-वित्त विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना ज्ञापांक-4685 दिनांक 25.06.2003 एवं संकल्प संख्या-7566 दिनांक-14.07.2010 के द्वारा परिचारित बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली-2003 एवं बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना-2010 के आलोक में बिहार आपूर्ति सेवा संवर्ग के कार्यरत/सेवानिवृत्त आपूर्ति निरीक्षकों/पणन पदाधिकारियों एवं सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को सुनिश्चित/रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजनान्तर्गत वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान किये जाने के बिन्दु पर विचारण हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या-271 दिनांक 15.01.2026 द्वारा गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति को इस हद तक संशोधित करते हुए पुनर्गठित की जाती है:-

- | | | | |
|-----|---|---|---------|
| (1) | श्री दीपक आनन्द
सचिव,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना । | — | अध्यक्ष |
| (2) | श्री विभूति रंजन चौधरी,
निदेशक-सह-विशेष सचिव,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना । | — | सदस्य |
| (3) | श्री रामाशंकर,
अपर सचिव,
निगरानी विभाग, बिहार, पटना । | — | सदस्य |
| (4) | श्री रविन्द्र नाथ चौधरी
संयुक्त सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना । | — | सदस्य |

-
- | | | | |
|-----|--|---|-------|
| (5) | श्री रवीन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना । | — | सदस्य |
| (6) | श्री अशोक कुमार,
आंतरिक वित्तीय सलाहकार,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना । | — | सदस्य |

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दीपक आनन्द,
सरकार के सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 637-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>